मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

2119
26/12/18

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2018

क्रमांक एफ 12/13/2018/सत्रह/मेडि–3::इस विभाग के आदेश 423/2008/सत्रह/मेडि–2 दिनांक 1–3–2008 द्वारा प्रदेश में शहरी क्षेत्र के सिविल अस्पताल एवं अन्य सभी शहरी स्वास्थ्य संस्थाएं जो जिला मुख्यालय पर स्थित हैं, का प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक के अधीन रहने बाबत् आदेश जारी किये गये थे।

2– राज्य शासन द्वारा जिला स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासकीय श्रंखला को सुदृढ. करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में शहरी क्षेत्र के सिविल अस्पताल एवं अन्य सभी शहरी स्वास्थ्य संस्थाएं जो जिला मुख्यालय पर स्थित है, का प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण जो वर्तमान में सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक के अधीन है, वह अब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन रहेगा ।

3– विभाग में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं, उपलब्धियों आदि के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु पूर्वानुसार जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शासन के नोडल अधिकारी होगें।

ये आदेश तत्काल प्रभाव से क्रियाशील होंगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,
19/12/18
(भागीरथ सुनहरे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 12/13/2018/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राजयमंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र. भोपाल (वेबसाइट पर अपलोड करावे)
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश ग्वालियर
6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
7. मिशन संचालक, एन0एच0एम0 अरेरा हिल्स, भोपाल
8. संचालक/अपर संचालक, प्रशासन/वित्त संचालनानलय स्वास्थ्य सेवाएं म0प्र0 भोपाल
9. जिला कलेक्टर समस्त मध्यप्रदेश
10. संभागीय सयुंक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश
11. समस्त जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश
12. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. कार्यालय आदेश फोल्डर प्रति ।

19/12/18
उप सचिव,
म.प्र.शासन लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग

AD(A) + AD(F)